FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0224 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 07/08/2026 13:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 23/07/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:48 बजे **Time To (समय तक):** 18:37 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/08/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 07/08/2026 13:35:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 450 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** STEP BY STEP SCHOOL KE PASS,, JOGI TALAB,GOVARDHANVILAS,, JILA UDAIPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name(नाम):** RAMCHANDRA MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MORPAL MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	47, JOGI TALAB, GORDHAN VILAS, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MOTIPURA LUHARPURA, BUNDI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJENDRA KUMAR MEENA		पिता:HURMARAM MEENA	1. SAMITER JAWAS,KHERWARA,UDAIPUR, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय ,वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 19.07.2026 समय करीब 10.50 ए.एम. पर श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया और उनके समक्ष बैठे परिवादी श्री रामचन्द्र मीना पुत्र श्री मोरपाल मीना, निवासी मकान नं. 47 जोगी तालाब थाना गोवर्धनविलास उदयपुर का मन् पुलिस निरीक्षक से आपस में परिचय करवा कर बताया कि ''परिवादी श्री रामचन्द्र मीना ने दिनांक 18.07.2026 को ब्यूरो के हेल्पलाईन पर कॉल कर पुलिस थाना गोवर्धन विलास के पुलिसकर्मी द्वारा रिश्वत राशि मांगने के सम्बंध में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर ब्यूरो मुख्यालय के हेल्पलाईन नम्बर 1064 से परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवा अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं। जिस पर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना से उसी दिन जरिये मोबाईल सम्पर्क कर ब्यूरो की कार्यप्रणाली से अवगत करा शिकायत प्रस्तुत करने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु कहा गया था। जिस पर आज दिनांक 19.07.2026 को समय करीब 10.45 ए.एम. पर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना कार्यालय पर उपस्थित आये हैं और लिखित रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की और बताया है कि उसके खिलाफ पुलिस थाना गोवर्धनविलास पर दर्ज शिकायत पर कार्यवाही नही कर मदद करने की एवज में जॉच अधिकारी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 5,000/- रूपये की मांग की जा रही है।'' परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से मामला रिश्वत राशि मांग एवं ग्रहण करने से सम्बंधित होने से श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामचन्द्र मीना की लिखित रिपोर्ट पर पृष्ठांकन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित कर सुपुर्द की गई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट मय परिवादी श्री रामचन्द्र मीना को हमराह लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने कार्यालय कक्ष में पहुच, परिवादी की लिखित रिपोर्ट दिनांक 19.07.2026 का अवलोकन कर रिपोर्ट को शब्द ब शब्द पढ़कर परिवादी को सुनाया तो परिवादी द्वारा रिपोर्ट सही होना एवं रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपि में होकर उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। रिपोर्ट में परिवादी श्री रामचन्द्र मीना ने अंकित किया कि ''मे रामचन्द्र मीना पुत्र श्री मोरपाल मीना निवासी मकान नं. 47 जोगी तालाब थाना गोर्वधनविलास उदयपुर में निवासरत हू मेंने आज से लगभग 2-3 साल पहले दिनेश गमेती, उदयलाल गमेती, सुरेश गमेती, पुष्पा गमेती को 70000/- रूपये उधार दिये थे जो वह नही दे रहे थे और मेरे को धमकी दे रहे कि तेरी नौकरी खराब करवा देंगे भूल जा पैसो को, करीब 3 दिन पहले मे व मेरी पत्नी पैसों का तकाजा करने गये तो उन्होने हमारे साथ गाली गलौच की जिससे हमारे बीच कहासूनी हो गई थी। जिस पर उन लोगो ने मेरे खिलाफ पुलिस थाना गोर्वधन विलास में रिपोर्ट दर्ज करवाये है रिपोर्ट की जॉच श्री राजेन्द्र जी पुलिसकर्मी कर रहे है जांच अधिकारी श्री राजेन्द्र जी ने मुझे जॉच में पुलिस थाना गोर्वधन विलास उदयपुर पर बुलाया तो मे 2-3 बार पुलिस थाने पर जाकर उनसे मिला था कल दिनांक 18-07-2026 को मे जांच अधिकारी श्री राजेन्द्र जी के बुलाने पर थाने पर गया तो पहले तो राजेन्द्र जी ने मुझे डराया कि आपने घर जाकर मारपीट की है घटना का विडियो बन गया है आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तारी होगी तो आपकी नौकरी चली जायेगी, मेरे निवेदन करने पर उन्होने मेरे को साईड में ले जाकर कहा कि अगर आप मुझे खर्चा पानी कर दोगे तो इसमें आपकी मदद कर दूंगा, वरना आपको कोर्ट में पेश करूंगा और आपके विभाग को रिपोर्ट भेजूंगा। मेरे द्वारा कितना खर्चा पानी करना पडेगा पूछने पर राजेन्द्र जी पुलिसकर्मी ने हाथ का ईशारा कर पॉच हजार रूपये की मांग की है। मे राजेन्द्र जी पुलिसकर्मी पुलिस थाना गोर्वधन विलास उदयपुर को रिश्वत नही देना चाहता हॅू, और मे उन्हें रिश्वत लेते हूये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हू। मेरी राजेन्द्र जी से कोई रंजिश नहीं हैं और ना ही कोई लेनदेन बकाया है। रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करे।'' तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री रामचन्द्र मीना से उपरोक्त घटनाक्रम के सम्बंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि ''आज से लगभग 2-3 साल पहले मैंने दिनेश गमेती, उदयलाल गमेती, सूरेश गमेती, पुष्पा गमेती को 70,000/- रूपये उधार दिये थे, इनको मैंने रूपये वापस देने के लिये कई बार कहा तो इन लोगों ने मुझे उधार दिये गये रूपये नहीं लोटाकर धमकी दी कि 'तेरी नौकरी खराब कर देंगे।' कुछ दिन पहले मैं व मेरी पत्नी उधार दिये पैसों को वापस लेने के लिये इनके पास गये, तो इन लोगों ने हमारे साथ गाली गलौच की और उसके बाद उल्टा उन लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस थाना गोवर्धनविलास में शिकायत कर दी थी। जिसकी जांच पुलिस थाना गोवर्धनविलास के श्री राजेन्द्र जी पुलिसकर्मी कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे कॉल कर पुलिस थाना गोवर्धनविलास उदयपुर पर बुलाया था। दिनांक 18.07.2026 को मैं जांच अधिकारी श्री राजेन्द्र जी के पुनः बुलाने पर थाना गोवर्धनविलास पर गया तो राजेन्द्र जी रोज की भांती सिविल

ड्रेस में ही मिले थे, उन्होंने मुझे डराया कि 'तुमने परिवादी के घर जाकर मारपीट की हैं जिसका वीडियो भी है तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी और नौकरी भी चली जायेगी।' फिर जांच अधिकारी राजेन्द्र जी ने मुझे उक्त मामले में मदद करने एवं मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नही कर रिपोर्ट आगे नही भेजने के बदले में मुझसे 5,000/- रूपये रिश्वत की मांग की और कहा कि 'इतना तो खर्चा पानी देना पडेगा तभी तेरे खिलाफ शिकायत की जांच में मुकदमा दर्ज नहीं कर तेरे पक्ष में रिपोर्ट बना दूंगा, जिससे तेरी गिरफ्तारी भी नहीं होगी और तेरी नौकरी पर भी कोई आंच नहीं आयेगी।' मैं ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी को रिश्वत नहीं देना चाहता था रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता था, इसलिये मैंने उसी दिन मेरे मोबाईल नम्बर से एसीबी के वाट्सअप हेल्पलाईन नम्बर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करवाई थी।'' परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं पूछताछ से मामला रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करने का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में वर्णित धारा में अपराध की श्रेणी का पाया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार हैडकानि. श्री दिनेश द्वारा कार्यालय की अलमारी से सोनी कम्पनी का सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर एवं सेनडिस्क कम्पनी का नया रिक्त मेमोरी कार्ड 16 जीबी बंरग काला निकालकर प्रस्तुत किया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी का 16 जीबी बंरग काला लगाकर चैक किया तो मेमोरी कार्ड व रिकॉर्डर रिक्त होकर सुचारू रूप से कार्य करना पाया गया। तत्पश्चात् परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया समझाईश की गई। परिवादी श्री रामचन्द्र मीना को संदिग्ध आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र पुलिस थाना गोवर्धन विलास से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने एवं अग्रिम कार्यवाही से अवगत करवाकर मांग सत्यापन वार्ता हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि ''आज राजेन्द्र जी थाना गोवर्धनविलास पर ही होंगे, जहा उनसे वार्ता हो सकती है।'' जिस पर परिवादी को संदिग्ध पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र पुलिस थाना गोवर्धन विलास, जिला उदयपुर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने व वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने की एवं श्री दिनेश कुमार हैडकानि. को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाने की हिदायत देकर श्री दिनेश कुमार हैड कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के हमराह पुलिस थाना गोवर्धन विलास की तरफ रवाना किया। समय करीब 01.22 पी.एम. पर श्री दिनेश कुमार हैड कानि. द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल कॉल कर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना की संदिग्ध पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र से पुलिस थाना गोवर्धन विलास पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होने के बारे में अवगत कराया। समय करीब 01.50 पी.एम. पर श्री दिनेश कुमार हैड कानि. मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के साथ ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। श्री दिनेश कुमार हैड कानि. द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया। मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि ''आपके कार्यालय से रवाना होकर मैं व श्री दिनेश कुमार पुलिस थाना गोवर्धनविलास से थोडा पहले मैंन रोड के साईड में एकान्त स्थान पर पहुचे, जहाँ दिनेश जी ने मुझे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की समझाईश कर समय करीब 11.48 ए.एम. पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कर सुपुर्द कर मुझे, मेरी मोटरसाईकिल से पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस थाना गोवर्धन विलास की तरफ रवाना किया, मैंने पुलिस थाना गोवर्धनविलास पर पहुच पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र जी के बारे में पता किया तो वो कहीं बाहर होने से उस समय नहीं मिले। जिस पर मैंने उनको फोन कर थाने पर पंहुचने के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे थाने पर ही रूकने व थोडी देर में थाने पर पंहुच जाने का बताया, जिस पर मैं थाने के बाहर ही श्री राजेन्द्र जी के थाने पर आने का इन्तजार करने लगा, थोडी देर बाद राजेन्द्र जी थाने पर आये और उन्होंने मुझे ईशारा कर थाने के अन्दर बुलाया और अन्दर बने एक कमरे में लेकर गये, जहां राजेन्द्र जी ने मेरे खिलाफ सुरेश गमेती द्वारा दी गई शिकायत को पढकर सुनाया और शिकायत में मेरी मदद करने व मुकदमा दर्ज नहीं कर मेरी नौकरी पर कोई ऑच नही आने की एवज में मुझसे 3,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई, उसके बाद थाने से बाहर आकर दिनेश जी के पास पहुच मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु हालत में सुपुर्द किया, जिन्होने बन्द कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा। उसके बाद दिनेश जी द्वारा आपको कॉल कर मांग सत्यापन होने के बारे में बताया और आपके बतायेनुसार मैं व दिनेश जी कार्यालय पर आये है।'' तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हैडकानि श्री दिनेश कुमार से पूछने पर बताया कि ''ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना गोवर्धनविलास से थोडा पहले मैंन रोड के साईड में एकान्त स्थान पर पहुच, परिवादी श्री रामचन्द्र मीना को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की समझाईश कर समय करीब 11.48 ए.एम. पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से संदिग्घ पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस थाना गोवर्धन विलास की तरफ रवाना किया और मैं थाने के आस-पास ही अपनी उपस्थित छुपाते हुए मुकीम रहा। तत्पश्चात समय करीब 01.15 पी.एम. पर परिवादी मेरे पास आया और डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया, जिस बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात आपको कॉल कर हालात निवेदन कर आपके निर्देशानुसार मैं व परिवादी कार्यालय पर उपस्थित आये है।'' तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुने गये तो हैड कानि. व परिवादी द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की ताईद हुई। उपरोक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से संदिग्ध श्री राजेन्द्र पुलिसकर्मी, पुलिस थाना

गोवर्धनविलास, उदयपुर द्वारा परिवादी से 3,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि हुई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को यथा स्थिति में कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री रामचन्द्र मीना को आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र को उसकी मांग अनुसार दी जाने वाली रिश्वत राशि 3,000/- रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 20.07.2026 को सुबह 1100 बजे ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु एवं गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया गया। दिनांक 20.07.2026 को समय करीब 11.45 ए.एम. पर कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर से मनोनित दो स्वतंत्र गवाह श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल हाल प्रोग्रामर एवं श्री प्रद्युम्न दशोरा हाल कनिष्ठ अभियंता उपस्थित आये, जिनसे ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो हर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति व्यक्त की। परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल हाल प्रोग्रामर व श्री प्रद्युम्न दशोरा हाल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर का परिवादी श्री रामचन्द्र मीना से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 19.07.2026 को प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पढकर सुनाई गई, तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट शब्द-ब-शब्द सही होकर स्वयं की हस्तलिपि में होकर स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को यथास्थित कार्यालय की अलमारी से बाहर निकाल मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 19.07.2026 को समय करीब 11.48 ए.एम. से परिवादी श्री रामचन्द्र मीना व संदिग्ध पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र के मध्य पुलिस थाना गोवर्धन विलास पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के मुख्य-मुख्य अंश स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को सुनाये गये तो स्वतंत्र गवाहान ने उक्त वार्ता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन होने की पुष्टि की। समय करीब 01.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामचन्द्र मीना पुत्र श्री मोरपाल मीना निवासी मकान नं. 47 जोगीतलाब थाना गोवर्धनविलास जिला उदयपुर से आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र, पुलिस थाना गोवर्धनविलास, उदयपुर की मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 06 नोट कुल 3,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये, नोटों के नम्बर निम्नानुसार हैः- (1) 5 EQ 210106, (2) 7 NT 419993, (3) 6 DT 688398, (4) 5 MR 037927, (5) 8 FN 075587, (6) 4 UB 936029 उपरोक्त प्रस्तुत नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित कर दोनों स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया, स्वतंत्र गवाह श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल द्वारा परिवादी श्री रामचन्द्र मीना की तलाशी लिवाई गई, जिसमें परिवादी के पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नही रहने दी। तत्पश्चात् श्री मुनीर मोहम्मद, सहायक उप निरीक्षक से कार्यालय की आलमारी में से फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 3,000/- रूपये के समस्त नोटो के दोनों तरफ फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटो को परिवादी द्वारा पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री राजेश कुमार कानि से एक नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी की बोतल से पानी भरवाया जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, तो घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाया गया, तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मुनीर मोहम्मद, सउनि की अंगुलियों व अंगुष्ठ जिन पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगा हुआ है को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद आरोपी के शरीर के किसी भी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थेलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 02.33 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल से आरोपी श्री राजेन्द्र के मोबाईल पर कॉल करवाया गया, लेकिन आरोपी का मोबाईल फोन स्वीच ऑफ होने से वार्ता नही हो सकी, परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड ऑन कर उक्त प्रयास को ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार हैडकानि 266 द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल व श्री प्रद्युम्न दशोरा एवं परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के समक्ष ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सोनी कम्पनी मय मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी को लेपटॉप से कनेक्ट कर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 19.07.2026 को समय करीब 11.48 ए.एम. से परिवादी श्री रामचन्द्र मीना व आरोपी राजेन्द्र कुमार, पुलिस थाना गोवर्धनविलास, उदयपुर के मध्य स्थान पुलिस थाना गोवर्धनविलास पर रूबरू हुई

रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 20.07.2026 को समय करीब 02.33 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता प्रयास की रिकॉर्डिंग को बारी-बारी से चलाकर सुनाई तो परिवादी श्री रामचन्द्र मीना ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में स्वयं की आवाज के अलावा अन्य आवाज पुलिस थाना गोवर्धनविलास, उदयपुर के पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र कुमार की होने की ताईद की। वार्तानुसार शब्द-ब-शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित करवायी गई, उपरोक्त फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.07.2026 मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 04.36 पी.एम. पर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के मोबाईल से आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया तो आरोपी का मोबाईल स्वीच ऑफ होने से वार्ता नहीं हो सकी, परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड ऑन कर उक्त प्रयास को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। समय करीब 05.39 पी.एम. परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के मोबाईल से आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड ऑन कर दोनों के मध्य हुई वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया, वार्ता में परिवादी ने आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र को मिलने हेतु कहने पर आरोपी ने परिवादी को थोडी देर में वापस कॉल कर बताने हेतु कहा, जिस पर आरोपी श्री राजेन्द्र के वापस कॉल आने के इन्तजार में रहे। समय करीब 05.57 पी.एम. पर आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र के मोबाईल नम्बर से परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के मोबाईल नम्बर पर वॉटसएप कॉल आया, परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड ऑन कर दोनों के मध्य हुई वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया, वार्ता में आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र ने परिवादी श्री रामचन्द्र मीना को थोडी देर में स्टेप बाय स्टेप स्कूल, सेक्टर नम्बर 14 गोवर्धनविलास की तरफ आकर मिलने के लिये कहा। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान व परिवादी का ब्यूरो टीम से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी को रिश्वत राशि लेन देन वार्ता हेतु पुनः आवश्यक हिदायत देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया को समझाया गया एवं आरोपी को रिश्वत राशि देने के पश्चात अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर ईशारा करने की हिदायत दी गई। उक्त निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो को बताया गया एवं परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली रिश्वत राशि लेन देन वार्ता को यथासम्भव सुनने या देखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी श्री रामचन्द्र मीना, दोनो गवाह व ट्रेप टीम सदस्य अलग-अलग वाहनो से मय आवश्यक संसाधन के स्टेप बाय स्टेप स्कूल सेक्टर नम्बर 14 गोवर्धनविलास की तरफ रवाना हुए। स्टेप बाय स्टेप स्कूल से कुछ पहले एकान्त स्थान पर पहुच समय करीब 07.03 पीएम, 07.04 पीएम, 07.38 पीएम व 07.50 पीएम पर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के मोबाईल से आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र के मोबाईल पर कॉल करवाया, तो आरोपी का कॉल नही लगने व आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नही करने से वार्ता नही हो सकी परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड ऑन कर उक्त मोबाईल वार्ता के प्रयासो को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 08.30 पी.एम. पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि "उसका बच्चा गीतांजली हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल भी जाना है और श्री राजेन्द्र जी पुलिसकर्मी को आज कॉल किये परन्तु उनके द्वारा ना तो फोन रिसीव किया गया और ना ही पुनः कॉल किया है, आज राजेन्द्र जी के आने की सम्भावना कम लग रही है। कल मैं गीतांजली हॉस्पिटल ही रहूंगा और दिन में करीब दो बजे के बाद फ्री हो जाउंगा, आप हॉस्पिटल ही आ जाना, राजेन्द्र जी से दिन में जब भी बात होगी और जब भी वो रिश्वत राशि लेने हेतु सम्पर्क करेंगे और जहां भी बुलायेंगे तो गीतांजली हॉस्पिटल से ही वहां चले जायेंगे।" तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि द्वारा परिवादी की पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रखी रिश्वती राशि को निकाल कर लिफाफे में रखकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री रामचन्द्र मीना को गोपनियता रखने की और आरोपी द्वारा रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क करने पर तुरन्त सूचित करने की हिदायत देकर दिनांक 21.07.2026 को समय करीब 02.00 पी. एम. पर गीतांजली हॉस्पिटल मिलने हेतु पाबंद कर मौके से रूकसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो गवाहान व ब्यूरो टीम सदस्य मय संसाधनो के अलग-अलग वाहनो से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पहुचे, दोनों स्वतंत्र गवहान श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल व श्री प्रद्युम्न दशोरा को गोपनीयता बनाये रखने और दिनांक 21.07.2026 को समय करीब 01.00 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को यथास्थिति कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 21.07.2026 को समय करीब 01.15 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल व श्री प्रद्युम्न दशोरा उपस्थित कार्यालय आये। समय करीब 01.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सुरेश कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स मय फिनोफ्थेलीन पाउडर लगी लिफाफे में रखी रिश्वती राशि, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन को सरकारी वाहन बोलेरो में सुरक्षित रखवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो टीम सदस्य अलग-अलग वाहनो से गीतांजली हॉस्पिटल, एकलिंगपुरा, उदयपुर की तरफ रवाना हुए। गीतांजली हॉस्पिटल के पास पंहुच परिवादी श्री रामचन्द्र मीना को कॉल कर गीतांजली हॉस्पिटल के बाहर में मिलने हेतु पाबंद किया गया। परिवादी ने उपस्थित आकर बताया कि आज सुबह से अब तक आरोपी पुलिसकर्मी राजेन्द्र जी ने उससे सम्पर्क नहीं किया है। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को अग्रिम कार्यवाही हेतु

कहने पर परिवादी ने कहा कि उसका बच्चा अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी प्रकार की कोई जरूरत भी पडे तो हॉस्पिटल के आस-पास ही रहे तो ठीक रहेगा और आरोपी का भी अभी तक कॉल नहीं आया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो टीम सदस्यों व परिवादी को हमराह लेकर गीतांजली हॉस्पिटल के पास एकान्त स्थान पर पंहुच समय करीब 02.36 पी. एम., 03.15 पी.एम., 04.48 पी.एम. व 04.49 पी.एम. पर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के मोबाईल से आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र के मोबाईल पर कॉल करवाया तो आरोपी का कॉल नही लगने व आरोपी का मोबाईल स्वीच ऑफ होने से वार्ता नही हुई, परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड ऑन कर उक्त प्रयास को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। समय करीब 06.34 पी.एम. पर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के मोबाईल से आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र के मोबाईल पर कॉल कर परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड ऑन कर दोनों के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया, वार्ता में आरोपी श्री राजेन्द्र ने परिवादी को हॉस्पिटल से फ्री होकर घण्टे भर में कॉल कर मिलने के लिये कहा। तत्पश्चात समय करीब 07.26 पी.एम. पर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के मोबाईल से आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र के मोबाईल पर कॉल कर परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड ऑन कर दोनों के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया, वार्ता में परिवादी ने आरोपी से उसका बच्चा अभी गीतांजली हॉस्पिटल में भर्ती होना कहकर आरोपी को गीतांजली हॉस्पिटल की तरफ आने के लिये कहा, जिस पर आरोपी ने कहा कि "तुम्हारी मदद ही की है, तुम बच्चे का इलाज करवाओ बाद में मिलते हैं।" तत्पश्चात परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को कहा कि आज काफी देर हो गई है और बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती होने से उसके पास भी जाना है और आरोपी पुलिसकर्मी राजेन्द्र जी ने बाद में मिलने के लिये कहा है तो आज उनसे रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता नहीं हो सकती है, कल मैं, दिन में करीब 01.00 बजे हॉस्पिटल से फ्री होकर आपके कार्यालय पर उपस्थित हो जाउंगा। आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र पुलिस थाना गोवर्धन विलास से रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता होने की सम्भावना नहीं होने से मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री रामचन्द्र मीना को गोपनियता रखने की और आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने हेतु सम्पर्क करने पर तुरन्त सूचित करने की हिदायत देकर दिनांक 22.07.2026 को हॉस्पिटल से फ्री होकर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबंद कर मौके से रूकसत किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो टीम सदस्य अलग-अलग वाहनो मय संसाधन के रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पंहुचे। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सुरेश कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स मय फिनोफ्थेलीन पाउडर लगी लिफाफे में रखी रिश्वती राशि को कार्यालय में सुरक्षित रखे गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को यथास्थिति कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दोनों स्वतंत्र गवहान को रूकसत किया गया। दिनांक 22.07.2026 को समय करीब 01.30 पी.एम. पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल व श्री प्रद्युम्न दशोरा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। तत्पश्चात परिवादी श्री रामचन्द्र मीना कार्यालय उपस्थित आया, मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क करने के सम्बंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि कल से अब तक पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र ने उससे सम्पर्क नहीं किया है। समय करीब 01.58 पी.एम., 02.19 पी.एम. व 04.19 पी.एम. पर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के मोबाईल से आरोपी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र के मोबाईल पर कॉल करवाया तो आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नहीं करने व मोबाईल स्वीच ऑफ करने से वार्ता नही हुई, परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड ऑन कर उक्त प्रयासो को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार हैडकानि 266 द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल व श्री प्रद्युम्न दशोरा एवं परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के समक्ष ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सोनी कम्पनी मय मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी को लेपटॉप से कनेक्ट कर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा दिनांक 20.07.2026 को समय करीब 04.36 पीएम पर किया गया मोबाईल वार्ता प्रयास, 05.39 पीएम व 05.57 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता, 07.03 पीएम, 07.04 पीएम, 07.38 पीएम व 07.50 पीएम पर किये गये मोबाईल वार्ता प्रयास, दिनांक 21.07.2026 को समय करीब 02.36 पीएम, 03.15 पीएम, 04.48 पीएम, व 04.49 पीएम पर किये गये मोबाईल वार्ता प्रयास, 06.34 पीएम व 07.26 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता, दिनांक 22.07.2026 को समय करीब 01.58 पीएम, 02.19 पीएम, 04.19 पीएम व पुनः 04.19 पीएम पर किये गये मोबाईल वार्ता प्रयास की रिकॉर्डिंग को बारी-बारी से चलाकर सुनाई तो 20.07.2026 को समय करीब 05.39 पी.एम. व 05.57 पी.एम. एवं 21.07.2026 को समय करीब 06.34 पी.एम व 07.26 पी.एम. पर हुई मोबाईल वार्ताओ में परिवादी श्री रामचन्द्र मीना ने स्वयं की आवाज के अलावा अन्य आवाज पुलिस थाना गोवर्धनविलास, उदयपुर के पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र कुमार की होने की ताईद की। वार्तानुसार शब्द-ब-शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित करवायी गई, उपरोक्त फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल फोन वार्ता दिनांक 20.07.2026, 21.07.2026 व 22.07.2026 मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी का मोबाईल फोन स्वीचऑफ होकर सम्पर्क नही होने के कारण रिश्वत राशि लेन देन वार्ता होने की सम्भावना नही होने से परिवादी को आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने हेतु सम्पर्क करने पर तुरन्त सूचित करने एवं परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाह को गोपनियता रखने व ब्यूरो कार्यालय पर दिनांक 23.07.2026 को 11.00 एएम पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूकसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 23.07.2026

को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना ने कॉल कर बताया कि “ परिवादी के मोबाईल पर आरोपी श्री राजेन्द्र पुलिसकमी द्वारा कॉल कर आधे घण्टे में रिश्वत राशि की व्यवस्था कर थाने पर बुलाया, जिस पर परिवादी द्वारा गीताजंली हॉस्पिटल होना बताने पर आरोपी द्वारा दिन में गीताजंली हॉस्पिटल की तरफ आकर मिलने के बारे बताया।” जिस पर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना को गोपनियता रखने, गीताजंली हॉस्पिटल की मेन गेट के पास स्थित अण्डर ग्राउण्ड पार्किग परिसर के पास मिलने की व आरोपी द्वारा पुनः सम्पर्क करने पर तुरन्त सूचित करने की हिदायत दी गई। तलबशुदा स्वतंत्र गवाह श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल व श्री प्रद्युम्न दशोरा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। समय करीब 11.20 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सुरेश कुमार सउनि से ट्रेप बॉक्स मय फिनोफ्थेलीन पाउडर लगी लिफाफे में रखी रिश्वती राशि, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन को सरकारी वाहन बोलेरो में सुरक्षित रखवाया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो टीम सदस्य अलग-अलग वाहनो से गीतांजली हॉस्पिटल, एकलिंगपुरा, उदयपुर की तरफ रवाना हुए। गीताजंली हॉस्पिटल के मेनगेट के पास पहुच वाहनो को रोड के साईड में खडा कर मन् पुलिस निरीक्षक, हैडकानि श्री चन्द्रकान्त व्यास व श्री दिनेश कुमार, कानि श्री संजय सिंह व गवाह श्री प्रद्युम्न दशोरा मय आवश्यक संसाधन के पैदल ही हॉस्पिटल के मेन गेट से अन्दर प्रवेश करने पर अन्डरग्राउण्ड पार्किग परिसर में परिवादी श्री रामचन्द्र मीना उपस्थित मिला। मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र कुमार से सुबह वार्ता होने के बाद से अब तक दुबारा वार्ता नही हुई है। समय करीब 12.08 पीएम, 12.09 पीएम, 12.35 पीएम व 03.51 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के मोबाईल से आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार के मोबाईल न कॉल करवाया गया, तो आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नहीं करने व मोबाईल स्वीच ऑफ करने से वार्ता नही हुई, परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड ऑन कर उक्त प्रयासो को ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 06.05 पीएम पर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के मोबाईल से आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार के मोबाईल पर कॉल किया तो आरोपी द्वारा कॉल रिसिव कर परिवादी को स्टेप बाय स्टेप स्कूल, जोगीतलाब पर रिश्वत राशि ग्रहण करने हेतु बुलाया, उक्त मोबाईल वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का लाउडस्पीकर मोड ऑन कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सुरेश कुमार सउनि को ट्रेप बॉक्स में लिफाफे में रखी रिश्वती राशि को लेकर गवाह श्री प्रहलाद कुमार के हमराह हॉस्पिटल की मेनगेट के पास अण्डरग्राउण्ड पार्किग परिसर में बुलाकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री सुरेश कुमार सउनि से लिफाफे में रखी हुई रिश्वती राशि को निकलवाकर गिनवाया जाकर पूर्व में मुर्तिबषुदा फर्द प्रदर्शन में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होकर 500-500 के रूपये छः नोट कुल राशि 3,000/- रूपये हुए। गवाह श्री प्रहलाद कुमार से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई गई तो कोई वस्तु नही होना पाया गया, जिस पर श्री सुरेश कुमार सउनि से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में कोई शै नही छोडते हुए उक्त रिश्वती राशि रखवाई गई। तत्पश्चात परिवादी के द्वारा आरोपी को रिश्वत राशि देने के पश्चात सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करने के बारे में अवगत करा रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो टीम सदस्य अलग-अलग वाहनो से रवाना होकर स्टेप बाय स्टेप स्कूल जोगीतलाब के पास स्थित शिव मन्दिर के पास पहुचे। जहाँ समय करीब 06.26 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी के मोबाईल पर कॉल कराया जाकर स्टेप बाय स्टेप स्कूल पहुच जाना बताया जिस पर आरोपी ने ‘ठीक है वा आता हु कहा। उक्त मोबाईल वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का लाउडस्पीकर मोड ऑन कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात समय करीब 06.28 पीएम पर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू कर सुपुर्द कर स्टेप बाय स्टेप की तरफ निजी मोटर साईकिल से रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराहियान ट्रेप टीम को स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास अपनी-अपनी उपस्थित छुपाते हुए परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली रिश्वत राशि लेन देन वार्ता को यथासम्भव सुनने व देखने की हिदायत देकर परिवादी के पीछे-पीछे अपने-अपने वाहनो से रवाना हुए। करीब पॉच मिनट बाद एक व्यक्ति जो पूर्व से ही मोटरसाईकिल पर हेलमेट लगा हुआ साधारण वेष-भुषा में स्कूल के आस पास ही गुम रहा था, वह परिवादी के पास आकर रूका, जिस पर परिवादी ने रिश्वत राशि निकालकर उसको दी और वह व्यक्ति मोटरसाईकिल तेजगति से भगाकर रवाना हो गया। परिवादी द्वारा सिर पर हाथ फैरकर निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री चन्द्र कान्त हैडकानि को परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर बन्द कर स्वयं के पास सुरक्षित रखने की हिदायत देकर मन् पुलिस निरीक्षक व ट्रेप टीम सदस्य उक्त आरोपी व्यक्ति की घेराबन्दी कर डिटेन करने हेतु अपने-अपने वाहनो से अलग-अलग रास्तो से उक्त आरोपी व्यक्ति का पीछा करने हेतु रवाना हुए। उक्त आरोपी का पीछा करते हुए नेशनल हाईवे पर पहुचे तो उक्त आरोपी व्यक्ति ट्रेफिक के दबाव का फायदा उठाकर तेजगति से मोटरसाईकिल को चलाते हुए फरार हो गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री चन्द्र कान्त हैडकानि से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर समय करीब 07.11 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार के मोबाईल पर कॉल कराया तो फोन स्वीच ऑफ होने से वार्ता नही हो सकी, उक्त मोबाईल वार्ता प्रयास को परिवादी के मोबाईल फोन का लाउडस्पीकर मोड ऑन कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को स्वयं के पास सुरक्षित रखा। आरोपी की संभावित स्थानो पर तलाश की गई, आरोपी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नही होने पर

मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना गोवर्धनविलास पहुच आईसी थाना को श्री राजेन्द्र कुमार पुलिसकर्मी पुलिस थाना गोवर्धनविलास द्वारा रिश्वत राशि मांग करने व ग्रहण कर फरार होने के हालात से अवगत करा श्री राजेन्द्र कुमार पुलिसकर्मी के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई तो आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा के पिता का नाम हुरमा जी मीणा निवासी गांव सामीतेड, जवास पुलिस थाना खैरवाडा, उदयपुर एवं कानिस्टेबल बेल्ट नम्बर 3055 होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त पुलिसकर्मी के पुलिस थाने पर आने पर डिटेन कर सूचित करने के संबंध में तहरीर दी गई। तत्पश्चात ब्यूरो कार्यालय पहुच दोनो स्वतंत्र गवाह श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल व श्री प्रद्युम्न दशोरा एवं परिवादी श्री रामचन्द्र मीना को दिनांक 24.07.2026 को प्रातः 11.00 बजे ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूकसत किया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को यथा स्थिति कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। आरोपी की तलाश हेतु टीमे रवाना की गईा दिनांक 24.07.2026 को पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल व श्री प्रद्युम्न दशोरा एवं परिवादी श्री रामचन्द्र मीना उपस्थित कार्यालय आये। समय करीब 12.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार हैडकानि 266 द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल व श्री प्रद्युम्न दशोरा एवं परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के समक्ष ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सोनी कम्पनी मय मेमोरी कार्ड को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जी.बी. में दौराने ट्रेप कार्यवाही रिकॉर्डशुदा दिनांक 23.07.2026 को समय करीब 12.08 पीएम, 12.09 पीएम, 12.35 पीएम व 03.51 पीएम पर किये गये मोबाईल वार्ता प्रयास, 06.05 पीएम व 06.26 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता, 06.28 पीएम पर हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता व 07.11 पीएम पर किया गया मोबाईल वार्ता प्रयास की वाईस रिकॉर्डिंग को बारी-बारी से चलाकर सुनाई गई, तो उपरोक्त वार्ताओ में समय करीब 06.05 पीएम, 06.26 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता व 06.28 पीएम पर रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता में परिवादी श्री रामचन्द्र मीना ने स्वयं की आवाज के अलावा अन्य आवाज पुलिस थाना गोवर्धनविलास, उदयपुर के पुलिसकर्मी कानिस्टेबल श्री राजेन्द्र कुमार मीणा की होने की ताईद की। वार्तानुसार शब्द-ब-शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित करवायी गई, उपरोक्त फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल फोन वार्ता व रिश्वत राशि लेन देन वार्ता दिनांक 23.07.2026 मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील कार्यवाही की गई। समय करी 01.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार हैडकानि 266 द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री प्रहलाद कुमार अग्रवाल व श्री प्रद्युम्न दशोरा एवं परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के समक्ष ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सोनी कम्पनी मय मेमोरी कार्ड को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जी.बी. में दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री रामचन्द्र मीना व आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार कानि. के मध्य दिनांक 19.07.2026 को समय करीब 11.48 एएम से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 20.07.2026 को समय 02.33 पीएम व 04.36 पीएम पर किये गये मोबाईल वार्ता प्रयास, 05.39 पीएम व 05.57 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता, 07.03 पीएम, 07.04 पीएम, 07.38 पीएम व 07.50 पीएम पर किये गये मोबाईल वार्ता प्रयास, दिनांक 21.07.2026 को समय करीब 02.36 पीएम, 03.15 पीएम, 04.48 पीएम, व 04.49 पीएम पर किये गये मोबाईल वार्ता प्रयास, 06.34 पीएम व 07.26 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता, दिनांक 22.07.2026 को समय करीब 01.58 पीएम, 02.19 पीएम, 04.19 पीएम व पुनः 04.19 पीएम पर किये गये मोबाईल वार्ता प्रयास व दिनांक 23.07.2026 को समय करीब 12.08 पीएम, 12.09 पीएम, 12.35 पीएम व 03.51 पीएम पर किये गये मोबाईल वार्ता प्रयास, 06.05 पीएम व 06.26 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता, 06.28 पीएम पर रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता व 07.11 पीएम पर किया गया मोबाईल वार्ता प्रयास, उक्त 27 रिकॉर्डशुदा वॉईस रिकॉर्डिंग की ऑडियो फाईल्स को तीन पेनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी 08 जीबी बरंग लाल व काला (मूल, आईओ व आरोपी) में बारी-बारी से लेपटॉप से कनेक्ट कर सुरक्षित (कॉपी) किया जाकर तीनो पेनड्राईव में सुरक्षित उक्त वाईस रिकॉर्डिंग फाईल्स की हेशवैल्यू निकाली गई, तो तीनो पेनड्राईव में सुरक्षित की गई वार्ताओं की वॉईस रिकॉर्डिंग फाईल की हेशवैल्यू एक समान है। तीनो पेनड्राईव की हेशवैल्यू मेमो पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही किये गये। तीनो पेनड्राईव को अलग-अलग पेनड्राईव के पैकिंग कवर में रखवाकर उनके कवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, मूल पेनड्राईव को सफेद कपडे की थैली में रखवाकर श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से सीलचिट करा मार्क PN अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द मुर्तिब पेनड्राईव एवं जप्ती पेनड्राईव (सेनडिस्क कम्पनी 08 जीबी बरंग लाल व काला) मुर्तिब कर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील कार्यवाही की गई। समय करीब 02.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कुमार हैडकानि 266 ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर सोनी कम्पनी मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप से कनेक्ट कर मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी में दौराने ट्रेप कार्यवाही रिकॉर्डशुदा उपरोक्त 27 वाईस रिकॉर्डिंग ऑडियो फाईल्स की हेशवैल्यू निकाली जाकर पूर्व में मुर्तिब तीनो पेनड्राईव (मूल, आईओ व आरोपी) में सुरक्षित की गई वार्ताओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग फाईल्स की हेशवैल्यू मेमो से मिलान करने पर समान है। मूल मेमोरी कार्ड के हेशवैल्यू मेमो पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जी.बी. बरंग काला को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से निकलवाकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी में सुरक्षित रख सफेद कपडे की थैली में रखवाकर श्री सुरेश कुमार सोनी सउनि से सीलचिट करा मार्क M अंकित कर

सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड (सेनडिस्क 16 जी.बी. बरंग काला) मुर्तिब कर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामचन्द्र मीना व दोनो स्वतंत्र गवाह को रूकसत किया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से पाया गया परिवादी श्री रामचन्द्र मीना द्वारा दिनांक 19.07.2026 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर पर इस आशय की लिखित शिकायत प्रस्तुत की कि "पुलिस थाना गोवर्धनविलास, उदयपुर पर उसके विरूद्ध मारपीट करने के संबंध में दर्ज शिकायत में पुलिस थाना गोवर्धनविलास के जॉच अधिकारी पुलिसकर्मी श्री राजेन्द्र द्वारा परिवादी श्री रामचन्द्र की गिरफ्तारी कर उसके विभाग को रिपोर्ट भेजने का डर दिखाकर परिवादी को गिरफ्तार नही कर उसके पक्ष में रिपोर्ट बनाकर मदद करने व परिवादी के विभाग को रिपोर्ट नही भेजने की एवज में 5,000/- (पॉच हजार) रूपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है।" जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही करवाई गई, जिसमें आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा कानिस्टेबल 3055, पुलिस थाना गोवर्धनविलास, उदयपुर द्वारा पुलिस थाना गोवर्धनविलास परिसर में रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौराने परिवादी श्री रामचन्द्र मीना से उसके खिलाफ पुलिस थाना गोवर्धनविलास पर सुरेश गमेती द्वारा दिनांक 16.07.2026 को दर्ज कराये गये परिवाद पर परिवादी श्री रामचन्द्र मीना के पक्ष में कार्यवाही कर गिरफ्तार नही करने, परिवादी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज नही करने एवं परिवादी के विरूद्ध रिपोर्ट आगे नही भेजकर परिवादी की नौकरी पर कोई ऑच नही आने देने की एवज में 3,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई, रिश्वत राशि मांग सत्यापन की पुष्टि होने पर दिनांक 23.07.2026 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा कानिस्टेबल द्वारा अपनी मांग अनुसार नियत स्थान स्टेप बाय स्टेप स्कूल जोगी तालाब गोवर्धनविलास के पास परिवादी से रिश्वत राशि 3,000/- रूपये ग्रहण करने पर आरोपी को डिटेन करने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी रिश्वत राशि ग्रहण कर नेशनल हाईवे पर ट्रेफिक के दबाव का फायदा उठाकर रिश्वत राशि सहित मोटरसाईकिल से फरार हो गया। इस प्रकार आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा कानिस्टेबल बेल्ट नं. 3055 द्वारा लोक सेवक के पद पर रहते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री रामचन्द्र मीना से रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करना आरोपी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री हुरमाराम मीणा, उम्र 31 वर्ष, निवासी गांव सामीतेड, जवास, पुलिस थाना खैरवाडा, जिला उदयपुर हाल पुलिस कानिस्टेबल, बेल्ट नम्बर 3055, पुलिस थाना गोवर्धनविलास, जिला उदयपुर के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण पंजीबद्ध हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। (भवदीय) लक्ष्मण लाल डांगी पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर........कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री लक्ष्मण लाल डांगी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री हुरमाराम मीणा, उम्र 31 वर्ष, निवासी गांव सामीतेड, जवास, पुलिस थाना खैरवाडा, जिला उदयपुर हाल पुलिस कानिस्टेबल, बेल्ट नम्बर 3055, पुलिस थाना गोवर्धनविलास, जिला उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राम सुमेर मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 114 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1308-11 दिनांक 07.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- पुलिस अधीक्षक, उदयपुर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAMSUMER MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 07/08/2026 13:53:33

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)